"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 283] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 नवम्बर 2006—कार्तिक 16, शक 1928

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 नवम्बर 2006

आदेश

क्रमांक-2155/970/32/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 की उपधारा (1) के अंतर्गत पुरा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी का निम्नानुसार गठन करती है :—

1.	कलेक्टर, रायपुर	पदेन अध्यक्ष
2.	अपर कलेक्टर, रायपुर	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायपुर	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर	पदेन सदस्य
5.	छत्तीसगढ़ गृहं निर्माण मण्डल का प्रतिनिधि	सदस्य
6.	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर	पदेन सदस्य
7.	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर	पदेन सदस्य
8.	महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, रायपुर	पदेन सदस्य
9.	अध्यक्ष, जनपद पंचायत, आरंग	सदस्य
10.	सुश्री रीना कंगाले, अपर कलेक्टर रायपुर	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.